कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून– 248001
फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724

संख्याः 1624 /XXV–12(Part-7)/2008 देहरादूनः दिनांक 07 सितम्बर, 2018.

सेवा में,

श्री अनिल चन्द्र बलूनी,
(आर.टी.आई., कार्यकर्ता)
19–सी, सुभाष रोड़ निकट डूंगा हाउस,
देहरादून–248001

विषयः– सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक लोक सूचना अधिकारी/अनुसचिव कार्यालय, राज्य निर्वाचन आयोग, देहरादून के पत्र संख्या–671/रा.नि.आ.–1/2468/2018 दिनांक 05 सितम्बर, 2018 जो इस कार्यालय को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना निम्न विवरणानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैः–

बिन्दु संख्या–01	लोक सूचना अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय, देहरादून को हस्तान्तरित किया जा रहा है।
बिन्दु संख्या–02	चुनाव प्रत्याशी द्वारा चुनाव खर्च हेतु बैंक में अलग खाता खोले जाने के संबंध में दिशा–निर्देशों की कुल 02 (दो) पृष्ठ संलग्न कर प्रेषित है।
बिन्दु संख्या–03, 04	केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली को हस्तान्तरित किया जा रहा है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैः–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
04–सुभाष रोड़ सचिवालय परिसर, देहरादून।

संलग्न- उपरोक्तानुसार 02 पृष्ठ

भवदीय,

B.S. Rawat
(बी0एस0रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

पृ0संख्या 1624/XXV–12(Part-7)/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–

1. लोक सूचना अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय, देहरादून को आवेदन पत्र की प्रति इस आशय से प्रेषित कि आवेदक द्वारा चाही गयी वांछित सूचना बिन्दु सं0 01 आपके कार्यालय के संबंधित है, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है।
2. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली को आवेदन पत्र की प्रति इस आशय से प्रेषित कि आवेदक द्वारा चाही गयी वांछित सूचना बिन्दु सं0 03 एवं 04 आपके कार्यालय से संबंधित है, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है।

B.S. Rawat
(बी0एस0रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

अनुलग्नक– 78

<u>फैक्स/ई–मेल/स्पीड पोस्ट द्वारा</u>

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली– 110001

सं0: 76/अनुदेश/2013/ईईपीएस/खण्ड–IV **दिनांक : 15 अक्तूबर, 2013**

सेवा में,

सभी राज्यों तथा संघ शासित
क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषय : अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय के लिए अलग बैंक खाता खोलना–तत्संबंधी मामला।

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संसद तथा प्रत्येक राज्य की विधानसभा के सभी निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन निर्वाचन आयोग में निहित है। इस प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त हो रही है कि अभ्यर्थी निर्वाचन प्रचार में अत्यधिक धनराशि खर्च करते हैं, जो एक समान अवसर प्रदान किए जाने की भावना के विपरीत है तथा वे अपने निर्वाचन व्ययों के दिन–प्रतिदिन के लेखे में सही व्ययों को नहीं दर्शाते हैं। अतः, निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता को बनाए रखने के लिए, अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों के सही लेखे के अनुरक्षण की सुविधा प्रदान करने तथा इसकी उचित निगरानी के लिए भी भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा निम्नलिखित अनुदेश जारी करता है :

(i) निर्वाचन व्यय के अनुवीक्षण की सुविधा उपलब्ध करने के लिए, प्रत्येक अभ्यर्थी को विशेषकर निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से एक अलग बैंक खाता खोलना अपेक्षित है। यह खाता निर्वाचन के प्रयोजनार्थ किसी भी समय खोला जा सकता है किन्तु यह अभ्यर्थी द्वारा अपना नाम–निर्देशन पत्र दाखिल करने के एक दिन पहले के पश्चात नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा नामांकन दाखिल करते समय इस बैंक खाते की खाता संख्या उस निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को लिखित में सूचित की जाएगी। जहां भी अभ्यर्थी ने बैंक खाता नहीं खोला है अथवा बैंक खाता संख्या की सूचना नहीं दी है, रिटर्निंग अधिकारी, आयोग के अनुदेशों का अनुपालन करने के लिए ऐसे प्रत्येक अभ्यर्थी को नोटिस जारी करेंगे।

(ii) निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से बैंक खाता या तो अभ्यर्थी के नाम से या निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त नाम से खोला जा सकता है। बैंक खाता अभ्यर्थी के परिवार के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति जो अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता नहीं है, के साथ संयुक्त नाम से नहीं खोला जाना चाहिए।

(iii) बैंक खाता राज्य में कहीं भी खोला जा सकता है। खाते, सहकारी बैंकों सहित किसी भी बैंक या डाक घरों में खोले जा सकते हैं। अभ्यर्थी के विद्यमान बैंक खाते को इस प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए चूंकि इसे निर्वाचन के उद्देश्य से एक अलग बैंक खाता होना चाहिए।

(iv) अभ्यर्थी द्वारा सभी निर्वाचन व्यय केवल इस बैंक खाते से ही किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन संबंधी कार्यों पर उपगत किए जाने वाले सभी व्यय अभ्यर्थी की अपनी निधि सहित निधि का स्रोत चाहे जो भी हो, इस बैंक खाते में डाले जाएंगे। परिणामों की घोषणा की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर दाखिल किए जाने वाले यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय के विवरण सहित इस बैंक खाते की विवरणी की एक स्वप्रमाणित प्रति भी अभ्यर्थी द्वारा जिला निर्वाचन अधिकरी को प्रस्तुत की जाएगी।

(v) अभ्यर्थी अपने निर्वाचन व्ययों को निर्वाचन के उद्देश्य से खोले गए बैंक खाते से क्रास्ड एकाउन्ट पेयी चैक, या ड्राफ्ट या आर टी जी एस/एन इ एफ टी के माध्यम से उपगत करेंगे। तथापि, यदि अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति/इकाई को व्यय के किसी मद के लिए अदा की जाने वाली राशि रू. 20,000/– से अधिक नहीं है, तो ऐसे व्यय को, उक्त बैंक खाते से निकासी करके नकद राशि के माध्यम से व्यय की जा सकती है।

(vi) अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्ययों के उद्देश्य से समूची राशि को उक्त बैंक खाते में डाला जाना अपेक्षित है तथा उनके सभी निर्वाचन व्ययों को केवल उक्त खाते से ही उपगत किया जाएगा।

(vii) अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) को यह भी सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि निर्वाचन आयोग बनाम भाग्योदय जन परिषद तथा अन्य (एस एल पी सं0 सी सी 20906/2012) के मामल में माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशानुसार, न तो कोई अभिकर्ता एवं उनके अनुयायी और न अभ्यर्थी स्वयं ही निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में रू. 50,000/– से अधिक की नकद राशि ले जा सकता है।

(viii) एतद्द्वारा, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई निर्वाचन व्यय बिना उक्त बैंक खाते के माध्यम से किया गया है या उपर्युक्त पैरा (v) में यथा निर्धारित चैक अथवा ड्राफ्ट या आर टी जीएस/एन इ एफ टी के माध्यम से नहीं किया गया है तो यह समझा जाएगा कि अभ्यर्थी ने आयोग द्वारा निर्धारित रीति से लेखे का अनुरक्षण नहीं किया है।

(ix) जिला निर्वाचन अधिकारी अपने जिलों में अवस्थित सभी बैंकों/डाक घरों को यथोचित अनुदेश जारी करेंगे कि वे यह सुनिश्चित करें कि अभ्यर्थियों को निर्वाचन के प्रयाजनार्थ बैंक खाते खोलने के लिए वे समर्पित काउन्टर खोलें। निर्वाचन अवधि के दौरान, बैंक उक्त खातों में जमा और उनसे आहरण करने की अनुमति प्राथमिकता आंधार पर देंगे।

2. मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि इसे सभी अभ्यर्थियों, निर्वाचन अधिकारियों और सभी संबंधितों के ध्यान में ला दें।

भवदीय,
ह0/–
(एस.के.रूडोला)
सचिव

अनुलग्नक–18

<u>फैक्स/ई–मेल/स्पीड पोस्ट द्वारा</u>

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली– 110001

सं0: 76/अनुदेश/2013/ईईपीएस/खण्ड–IV **दिनांक : 15 अक्तूबर, 2013**

सेवा में,

सभी राज्यों तथा संघ शासित
क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषय : अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय के लिए अलग बैंक खाता खोलना–तत्संबंधी मामला।

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संसद तथा प्रत्येक राज्य की विधानसभा के सभी निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन निर्वाचन आयोग में निहित है। इस प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त हो रही हैं कि अभ्यर्थी निर्वाचन प्रचार में अत्यधिक धनराशि खर्च करते हैं, जो एक समान अवसर प्रदान किए जाने की भावना के विपरीत है तथा वे अपने निर्वाचन व्ययों के दिन–प्रतिदिन के लेखे में सही व्ययों को नहीं दर्शाते हैं। अत:, निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता को बनाए रखने के लिए, अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों के सही लेखे के अनुरक्षण की सुविधा प्रदान करने तथा इसकी उचित निगरानी के लिए भी भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा निम्नलिखित अनुदेश जारी करता है :

(i) निर्वाचन व्यय के अनुवीक्षण की सुविधा उपलब्ध करने के लिए, प्रत्येक अभ्यर्थी को विशेषकर निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से एक अलग बैंक खाता खोलना अपेक्षित है। यह खाता निर्वाचन के प्रयोजनार्थ किसी भी समय खोला जा सकता है किन्तु यह अभ्यर्थी द्वारा अपना नाम–निर्देशन पत्र दाखिल करने के एक दिन पहले के पश्चात नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा नामांकन दाखिल करते समय इस बैंक खाते की खाता संख्या उस निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को लिखित में सूचित की जाएगी। जहां भी अभ्यर्थी ने बैंक खाता नहीं खोला है अथवा बैंक खाता संख्या की सूचना नहीं दी है, रिटर्निंग अधिकारी, आयोग के अनुदेशों का अनुपालन करने के लिए ऐसे प्रत्येक अभ्यर्थी को नोटिस जारी करेंगे।

(ii) निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से बैंक खाता या तो अभ्यर्थी के नाम से या निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त नाम से खोला जा सकता है। बैंक खाता अभ्यर्थी के परिवार के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति जो अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता नहीं है, के साथ संयुक्त नाम से नहीं खोला जाना चाहिए।

(iii) बैंक खाता राज्य में कहीं भी खोला जा सकता है। खाते, सहकारी बैंकों सहित किसी भी बैंक या डाक घरों में खोले जा सकते हैं। अभ्यर्थी के विद्यमान बैंक खाते को इस प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए चूंकि इसे निर्वाचन के उद्देश्य से एक अलग बैंक खाता होना चाहिए।

(iv) अभ्यर्थी द्वारा सभी निर्वाचन व्यय केवल इस बैंक खाते से ही किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन संबंधी कार्यों पर उपगत किए जाने वाले सभी व्यय अभ्यर्थी की अपनी निधि सहित निधि का स्रोत चाहे जो भी हो, इस बैंक खाते में डाले जाएंगे। परिणामों की घोषणा की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर दाखिल किए जाने वाले यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय के विवरण सहित इस बैंक खाते की विवरणी की एक स्वप्रमाणित प्रति भी अभ्यर्थी द्वारा जिला निर्वाचन अधिकरी को प्रस्तुत की जाएगी।

(v) अभ्यर्थी अपने निर्वाचन व्ययों को निर्वाचन के उद्देश्य से खोले गए बैंक खाते से क्रास्ड एकाउन्ट पेयी चैक, या ड्राफ्ट या आर टी जी एस/एन इ एफ टी के माध्यम से उपगत करेंगे। तथापि, यदि अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति/इकाई को व्यय के किसी मद के लिए अदा की जाने वाली राशि रू. 20,000/– से अधिक नहीं है, तो ऐसे व्यय को, उक्त बैंक खाते से निकासी करके नकद राशि के माध्यम से व्यय की जा सकती है।

(vi) अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्ययों के उद्देश्य से समूची राशि को उक्त बैंक खाते में डाला जाना अपेक्षित है तथा उनके सभी निर्वाचन व्ययों को केवल उक्त खाते से ही उपगत किया जाएगा।

(vii) अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) को यह भी सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि निर्वाचन आयोग बनाम भाग्योदय जन परिषद तथा अन्य (एस एल पी सं0 सी सी 20906/2012) के मामल में माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशानुसार, न तो कोई अभिकर्ता एवं उनके अनुयायी और न अभ्यर्थी स्वयं ही निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में रू. 50,000/– से अधिक की नकद राशि ले जा सकता है।

(viii) एतद्द्वारा, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई निर्वाचन व्यय बिना उक्त बैंक खाते के माध्यम से किया गया है या उपर्युक्त पैरा (v) में यथा निर्धारित चैक अथवा ड्राफ्ट या आर टी जीएस/एन इ एफ टी के माध्यम से नहीं किया गया है तो यह समझा जाएगा कि अभ्यर्थी ने आयोग द्वारा निर्धारित रीति से लेखे का अनुरक्षण नहीं किया है।

(ix) जिला निर्वाचन अधिकारी अपने जिलों में अवस्थित सभी बैंकों/डाक घरों को यथोचित अनुदेश जारी करेंगे कि वे यह सुनिश्चित करें कि अभ्यर्थियों को निर्वाचन के प्रयाजनार्थ बैंक खाते खोलने के लिए वे समर्पित काउन्टर खोलें। निर्वाचन अवधि के दौरान, बैंक उक्त खातों में जमा और उनसे आहरण करने की अनुमति प्राथमिकता आंधार पर देंगे।

2. मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि इसे सभी अभ्यर्थियों, निर्वाचन अधिकारियों और सभी संबंधितों के ध्यान में ला दें।

भवदीय,
ह0/–
(एस.के.रूडोला)
सचिव

प्राप्त 6/9/18

राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

पत्रांक : 671 / रा.नि.आ.-1/2468/2018

~~पंजीकृत~~

दिनांक 5/9/2018

सत्यमेव जयते

सूचना का अधिकार

राज्य निर्वाचन आयोग

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तातंरण के लिए प्रपत्र

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी/
अनुभाग अधिकारी,
कार्यालय–मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

महोदय,

कृपया श्री अनिल चन्द्र बलूनी (आर.टी.आई. कार्यकर्ता), 19–C, सुभाष रोड, निकट डूंगा हाउस, देहरादून का सूचना का अनुरोध–पत्र दिनांक 27.08.2018 जो राज्य निर्वाचन आयोग में दिनांक 05.09.2018 को प्राप्त हुआ है। अनुरोधकर्ता के अनुरोध–पत्र दिनांक 27.08.2018(पोस्टल आर्डर सहित) को मूलरूप में संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना जो आपके विभाग से संबंधित है, कृपया अनुरोधकर्ता को अपने स्तर से नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
05/9/18
(बी0पी0 कोठारी)
अनु सचिव/
लोक सूचना अधिकारी।
मो0नं0–7534820707

संख्या–   /रा0नि0आ0–1/2468/2018 तद्दिनांक।(पंजीकृत)

प्रतिलिपिः– श्री अनिल चन्द्र बलूनी (आर.टी.आई. कार्यकर्ता), 19–C, सुभाष रोड, निकट डूंगा हाउस, देहरादून को सूचनार्थ।

(बी0पी0 कोठारी)
अनु सचिव/
लोक सूचना अधिकारी।

श्री नयाल
(बी॰ पी॰ कोठारी)
अनु सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

379
5/9/18

सेवा में ,

दिनांक : 27/अगस्त/2018

श्रीमान लोक सूचना अधिकारी ,
उत्तराखंड,राज्य निर्वाचन आयोग
4, सुभाष रोड, नार्थ ब्लॉक, देहरादून सचिवालय , देहरादून उत्तराखंड !

विषय: सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना के सम्बन्ध में !

महोदय ,
प्रार्थी सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत निम्न बिन्दुओं पर सूचना चाहता है !

१. उत्तराखंड विधानसभा चुनाव वर्ष 2017, में कैंट विधानसभा से राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी कुँवर जपेन्द्र सिंह 'उत्तराखंडी' द्वारा ,चुनाव संपन्न होने से लेकर अभी तक अपने चुनावी लेखे जोखे में हुई किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी के सम्बन्ध में कोई भी लिखित शिकायत/जानकारी अथवा प्रार्थना पत्र आयोग को दिया है अथवा नहीं , अगर दिया है ,तो कृपया प्रार्थी को उक्त सम्बन्ध में प्रत्याशी द्वारा दी गई लिखित शिकायत/जानकारी अथवा प्रार्थना पत्र की सत्य छायाप्रति उपलब्ध कराने की कृपा करें !
२. उत्तराखंड विधानसभा चुनाव वर्ष 2017 में चुनाव प्रत्याशी द्वारा चुनाव खर्च हेतु खोले जाने वाले बैंक खातों हेतु बैंकों को जारी दिशा निर्देशों एवं खाता संचालन नियमों की सम्पूर्ण जानकारी प्रार्थी को उपलब्ध कराने की कृपा करें !
३. चुनाव प्रत्याशी द्वारा बैंक में खोले चुनाव खाते के संचालन का अधिकार प्रत्याशी किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित सकता है जिसमें प्रत्याशी की अनुपस्थिति में अधिकार हस्तांतरित व्यक्ति उक्त खाते के चेक हस्ताक्षर कर धनराशी निर्गत कर सकता हो , इस तरह का कोई अधिकार चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रत्याशी को दिया गया है या नहीं, अगर हाँ तो कृपया स्पष्ट करने की कृपा करें !
४. यदि चुनाव प्रत्याशी को खाता संचालन हस्तांतरण अधिकार प्राप्त है और उक्त चुनाव खाते के संचालन का अधिकार यदि प्रत्याशी किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता है ,तो क्या भविष्य में चुनाव प्रत्याशी अधिकार हस्तांतरित उस व्यक्ति पर धोखा धडी का आरोप लगाकर कोई कानूनी कार्यवाही कर सकता है!

धन्यवाद !

संलग्नक :
पोस्टल आर्डर संख्या : **43F 734352**

प्रार्थी

अनिल चन्द्र बलूनी
(आर. टी. आई. ,कार्यकर्ता)
19-C, सुभाष रोड निकट डूंगा हाउस, देहरादून - 248001